चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 03.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 03.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध की रोकथाम के लिये अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अंशुल कुमार तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रामभवन उर्फ भुवन पुत्र सुखराज यादव निवासी भुईहरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 08 अदद देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

08 अदद देशी बम

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अंशुल कुमार थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी आकाश सेन

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह ने निर्देशन में वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(क). उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी विक्रम बुद्धसेन, आरक्षी मोनू द्वारा मु0नं0 97/2014 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त लाल बाबू पुत्र बाबूलाल निवासी चिल्लीराकस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी मनोज कुमार द्वारा मु0नं0 240/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी रोशन सोनकर पुत्र बंजारा सोनकर निवासी हनुमानगंज थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ग). चौकी प्रभारी जिला अस्पताल श्री राहुल सिंह एवं उनकी टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त मु0नं0 587/20 धारा 60 आबकारी अधि0 के वारण्टी अभियुक्त बेनी प्रसाद वर्मा पुत्र मूलचन्द्र वर्मा निवासी चिकवन मोहल्ला लक्ष्मणपुरी थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट 2. एस0टी0नं0- 86/17 धारा 135 विद्युत अधिनियम की वारण्टी अभियुक्ता मुरैली देवी पत्नी दशरथ निवासी शत्रुधनपुरी थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट 3. एस0टी0 नं0- 92/18 धारा 135 विद्युत अधिनियम की वारण्टी अभियुक्ता कुसुम देवी पत्नी कालका प्रसाद उम्र करीब 60 वर्ष निवासी चिकवागली लक्ष्मणपुरी थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह ने निर्देशन में वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्रचन्द्र पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी एवं थाना रैपुरा की संयुक्त टीम द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त शशिकांत प्रसाद पुत्र जितेंद्र प्रसाद उर्फ जमुना प्रसाद निवासी जोगिया टोला, दिनारा थाना दिनारा जनपद रोहतास, राज्य बिहार को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अरविंद कुमार सिंह थाना रैपुरा
2. उ0नि0 श्री खलील अहमद थाना पहाड़ी
3. आरक्षी जयप्रकाश थाना पहाड़ी

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं निरीक्षक अपराध प्रभुनाथ यादव द्वारा स्कूल वैन में अधिक छात्रों के ले जाने पर वैन का चालान किया गया तथा बच्चों को दो बार में भेजा गया इस दौरान छात्रों को पढ़ाया गया।

आज दिनाँक 05.02.204 को प्रभारी निरीक्षक श्रीमती रीता सिंह अपराध निरीक्षक प्रभुनाथ यादव हमाराह पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग के दौरान सैम मॉडल स्कूल मानिकपुर द्वारा बच्चों को प्राइवेट स्कूल वाहन में अधिक बच्चों को भरकर उनके घरों तक पहुंचाने हेतु ले जाया जा रहा था चेकिंग के दौरान वाहन से बच्चों को उतरवा कर वाहन का चालान किया गया तथा बच्चों को दो बार में वाहन से ले जाने हेतु भेजा गया। वाहन से उतारे गए बच्चों को पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रांगण में बैठाकर उनके विषय के संबंध में जानकारी दी गई पढ़ाया गया।

(7). आज दिनांक 05.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में नोडल अधिकारी SPC क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना बरगढ़ के एसपीसी पुलिस अधिकारी उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्रा द्वारा राजकीय हाईस्कूल मुर्का में तथा थाना भरतकूप के एसपीसी पुलिस अधिकारी उ0नि0 श्री बालकिशुन द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय भरतकूप में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट्स के छात्रों को वृद्धों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों की सेवा के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से पढ़ाया गया।

इस दौरान में स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट की छात्राओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु महिला व बाल अपराध के बारे में प्रशिक्षित /जागरूक किया गया। शासन द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-

महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा शासन के विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों के पम्पलेट्स वितरित किये गए।

स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को बताया गया कि उनके साथ हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पुलिस से ''चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो'' जिससे उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को रोका जा सके। स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट को गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी देते हुये बताया गया कि अक्सर छोटे-छोटे बच्चों को हमारे जानने वाले ही बैड-टच करते हैं और हम समझ नहीं पाते, इसके सम्बन्ध में खुलकर बतायें तथा घर पर अपने छोटे भाई/बहन को भी गुड-टच, बैड-टच के सम्बन्ध में बतायें।